वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 31.05.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, न्यायाधीश, हिन्दुस्तान, ज्ञानशिखा टाइम्स, जनसंदेश टाइम्स,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 31.05.2025

डीआईजी कॉलोनी में 10 अधिकारी आवास बनेंगे

वाराणसी। वीडीए की ओर से डीआईजी कॉलोनी में अधिकारी आवास के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। यहां अधिकारियों के लिए आवासों का निर्माण होगा। इस संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई है। यहां बनने वाले भवनों के निर्माण पर अनुमानित लागत 2.68 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। जिसमें चार फ्लैट 3बीएचके बनेंगे। साथ ही छह फ्लैट 3बीएचके का निर्माण किया जाएगा। इसकी लागत 3.83 करोड़ है। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 31.05.2025

वीडीए ने चार बीघे में अवैध प्लॉटिंग कराई ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए ने शुक्रवार को चार बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई। नगवां/भेलूपुर वार्ड के डाफी में बब्लू पांडेय व अन्य की ओर से बिना ले -आउट स्वीकृत कराए 4 बीघा में अवैध प्लॉटिंग की गई थी। जोनल अधिकारी सिंह संजीव कुमार, अवर अभियंता आदर्श निराला ने कार्रवाई की। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 31.05.2025

वीडीए का 20 करोड़ की जमीन पर कब्जा, कराई बाउंड्री

- शोएव अंसारी समेत अन्य लोग जमीन पर कर रहे थे अवैध निर्माण बुलडोजर से तोड़ा
- हाई कोर्ट और वाराणसी न्यायालय से नहीं मिली राहत, जोनल अधिकारी करेंगे मानीटरिंग

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण ने गत गुरुवार को रविंद्रपुरी कालोनी में अपने छह हजार वर्ग फीट जमीन पर कब्जा करने के साथ वहां बनाए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ दिया। शुक्रवार को बाउंड्री कराने के साथ अपना गेट लगाना शुरू कर दिया है। वीडीए के अपर सचिव परमानंद यादव की देखरेख में जमीन पर बाउंड्री कराई गई। जोन चार के ज़ोनल अधिकारी संजीव कुमार को कर्मचारी लगाकर मानीटरिंग कराने को कहा गया है। वहीं, बाउंड्री से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।

रविंद्रपुरी कालोनी में वीडीए की जमीन पर बाउंड्री करते कर्मचारी • जागरण

वीडीए सचिव डा. वीपी मिश्रा ने बताया कि वीडीए ने रविंद्रपुरी कालोनी में प्लाट नंबर 139-ए सीता देवी के नाम से आवंटित किया था। वीडीए ने 18 अप्रैल-1991 को आवंटन निरस्त कर दिया। आवंटी सीता देवी वीडीए के खिलाफ हाईकोर्ट गईं। वीडीए ने 13 फरवरी-1992 को कोर्ट में जवाब दिया। सीता देवी को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। बाद में सीता देवी ने उक्त प्लाट के नवीकरण के लिए वाराणसी न्यायालय में वाद दाखिल किया। न्यायालय ने वाद खारिज कर वीडीए के पक्ष में निर्णय कर दिया। इस बीच शोएब अंसारी समेत अन्य लोग एक रजिस्ट्री कराते हुए वीडीए के प्लाट नंबर 139-ए पर कब्जा करने लगे।

वीडीए ने चार बीघा तोड़ी अवैध प्लाटिंग

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण सचिव डा. वीपी मिश्रा के निर्देश पर शुक्रवार को अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग और निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन चार के जोनल अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि नगवां वार्ड में बबलू पांडेय वीडीए से बिना ले-आउट पास कराए अवैध तरीके से चार बीघा में जमीन की प्लाटिंग कर रहे थे। बुलडोजर से प्लाटिंग की बाउंड्री तोड़ दी गई। साथ ही बबलू पांडेय को वीडीए से बिना ले-आउट स्वीकृत कराए प्लाटिंग नहीं करने की चेतावनी दी गई है। दोबारा मिलने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 31.05.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने की कार्यवाही

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा 04 बीघा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-

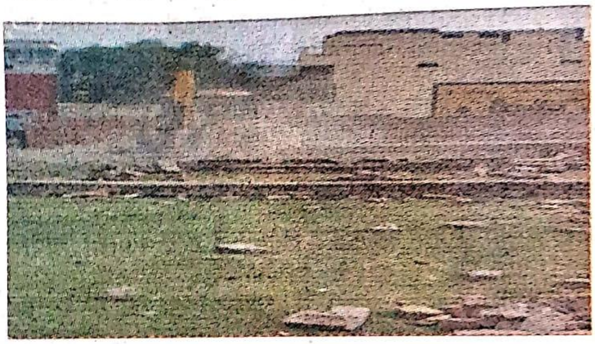

नगवां/भेलूपुर, डांफी, हरिजन बस्ती के पास बब्लू पाण्डेय व अन्य द्वारा बिना ले -आउट स्वीकृत कराए लगभग 04 बीघा में की गई अवैध प्लाटिंग को आज 30.05.2025 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी सिंह संजीव कुमार, अवर अभियंता आदर्श निराला एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान–दि0 31.05.2025

वीडीए ने चार बीघे में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने शुक्रवार को डाफी में चार बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई। इस दौरान हल्का विरोध भी हुआ, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई पूरी की गई। इस मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार, जेई आदर्श निराला आदि मौजूद रहे।

जनसंदेश टाइम्स–दि0 31.05.2025

वीडीए ने की नोटिस पर सुनवाई

वाराणसी। वीडीए ने नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र के निस्तारण लिए गुरुवार को कैंप लगाया। जिसमें कुल 67 आवेदक जहां उपस्थित हुए,वही 105 नोटिस प्रकरणों की सुनवाई की गई। इस दौरान 6 शमन मानचित्र दाखिल हुआ जबकि 9 शमन मानचित्र स्वीकृत किए गए। इस दौरान 20,83,431/- धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा कराई गई और 35 मानचित्रों में आपत्तियों का निस्तारण किया गया। इस अवसर पर अपर सचिव परमानन्द यादव के अतिरिक्त समस्त जोनल अधिकारी, अवर अभियंता, भवन लिपिकगण तथा नियोजन, आवासि, सीलिंग एवं विधि अनुभाग आदि लोग उपस्थित रहे।

न्यायाधीश–दि0 31.05.2025

अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा 04 बीघा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड- नगवां/ भेलूपुर, डाफी, हरिजन बस्ती के पास बब्लू पाण्डेय व अन्य द्वारा बिना ले -आउट स्वीकृत कराए लगभग 04 बीघा में की गई अवैध प्लाटिंग को आज 30.05.2025 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी सिंह संजीव कुमार, अवर अभियंता आदर्श निराला एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।